न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/14/15	24-04-2015	02-09-2016

1—शिव नारायण पुत्र जगदीश जाति जाट ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम अलवर
—प्रार्थी

बनाम

1—मंगल राम पुत्र ताराचन्द
2—मदन लाल पुत्र ताराचन्द जाति जाटान निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम
3—जगदीश
4—अतर सिंह पुत्रान राम प्रसाद जाति जाटान निवासी जालाका तहसील कोटकासिम
5—कप्तान पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम
6—राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम अलवर
——असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित :-
01. श्री संजय यादव —वकील प्रार्थी
02. श्री गोविन्द राम यादव —वकील अप्रार्थीगण

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 276/14 अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी शिव नारायण बनाम मंगलराम व अन्य को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में उनवानी प्रकरण संख्या 276/14 धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी शिव नारायण बनाम मंगलराम व अन्य का विचाराधीन है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर उक्त प्रकरण में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई न कर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने के प्रयास किये जा रहें है। पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दी-जल्दी की तारीख पेशी नियम की जा रही है और प्रार्थी को साक्षय प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। गत पेशी पर को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेजात एव पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेश नहीं किया है, तथा आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। अतः आरोप निराधार प्रतीत होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02–08–2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner